उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्या–837/35–1–2019–546/अ0मु0स0नियो0/2019
लखनऊ दिनांक 14 नवम्बर, 2019।

कार्यालय–ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एवं घोषित महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं का कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जहाँ एक ओर विभागों द्वारा न तो समय से डीपीआर तैयार हो पाती है और न ही समय से पीएफएडी, पीआईबी अथवा ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त हो पाता है। उक्त विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है। पीएफएडी के गठन का मूल उद्देश्य परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं उसकी आवश्यकता तथा औचित्य का परीक्षण करना रहा है। वर्तमान में इससे उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही है।

2. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शासन की प्रायोजनाओं का कार्य समय से एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने हेतु वर्तमान में स्थापित व्यवस्था की संरचना, कियाकलाप एवं गतिविधियों में मूलभूत परिवर्तन करने हेतु एक वृहद एवं समावेशी संस्था बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित संस्था शासकीय परियोजनाओं का कार्य समय से एवं गुणवत्तापूर्वक कराये जाने हेतु डीपीआर तैयार करने तथा पीएफएडी, पीआईबी एवं ईएफसी के संबंध में समन्वय स्थापित करने एवं परियोजनाओं के फार्मूलेशन, अप्रेजल, मानीटरिंग तथा तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट आदि हेतु उत्तरदायी होगी।

3. अतः उक्त कार्यों के सम्पादन के लिए प्रस्तावित संस्था का कार्य, दायित्व एवं प्रारूप के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने हेतु श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एतद्द्वारा नामित/आबद्ध किया जाता है, जो उक्त कार्य हेतु प्रदेश के अतिरिक्त भारत सरकार एवं अन्य प्रदेश सरकारों के सुसंगत प्राविधानों का अध्ययन तथा हितधारकों से विचार–विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे।

श्री सिंह 15 दिनों के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

कुमार कमलेश
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–837(1)/35–1–2019–तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. महानिदेशक, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. नियोजन विभाग के अनुभाग–2,3 व 4 तथा राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 ।
10. श्री वी0के0सिंह, से0नि0, प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल/बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
14/11/19
(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।